Form No. III

फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

रूपा बनाम **नंदू**

किस्मा मुकदमा **राजस्व इजराय** नं0 **013** सन् **2013**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार हाजिर। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/राजस्व/2019/1004 दिनांक 17.07.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जो शा0 पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 66822006 एवं माननीय न्यायालय ।क्श्र 1 के प्र0 सं0 73/2008 द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त है। ऐसी स्थिति में इजराय पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः इजराय पत्रावली में कर्यावाही इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उउचित प्रतीत होता है। वादीगण माननीय न्यायालय के निर्णयों के उपरांत पुनः कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। अतः वर्तमान समय में डिक्री की पालना कराया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में इजराय पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कर्यावाही के अभिलेखागार भिजाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। – ह0 – (विनोद कुमार) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official